NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-10-2025

विषय सूची

» भारत में STEM प्रतिभा पलायन: प्रोत्साहन से आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की ओर
» सरकार ने AI-जनित सामग्री को विनियमित करने के लिए IT नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया
» क्या मैच फिक्सिंग को कानूनी तौर पर धोखाधड़ी माना जा सकता है?
» एटलस: एआई-संचालित ब्राउज़रों का उदय
» भारत वैश्विक वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर पहुंचा

संक्षिप्त समाचार

» इज़राइल की संसद द्वारा नियन्त्रण वाले वेस्ट बैंक के विलय को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान
» लद्दाख के प्रतिनिधियों को अनुच्छेद 371 की शर्तों की पेशकश की गई
» वैज्ञानिकों ने 'एटॉमिक स्टेंसिल्स' का उपयोग कर डिज़ाइनर नैनोकण बनाए
» ईरान द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि
» प्रोफेसर एकनाथ चिटनिस: अनुभवी वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया
» 2025 सखारोव पुरस्कार

भारत में STEM प्रतिभा पलायन: प्रोत्साहन से आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की ओर

संदर्भ

- भारत लंबे समय से STEM क्षेत्रों में बेहतर शोध अवसरों की खोज में विदेशों में प्रवास की चुनौती का सामना कर रहा है, जिससे भारत की बौद्धिक क्षमता और घरेलू संसाधनों के बीच एक अंतर उत्पन्न हुआ है।

भारत में ब्रेन ड्रेन

- ब्रेन ड्रेन का अर्थ है अत्यधिक कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में बेहतर अवसरों की खोज में प्रवास करना।
- भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईटी पेशेवर और अकादमिक लोग अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की ओर दृष्टिकोण करते हैं।
- 2015 से 2022 के बीच 13 लाख भारतीयों ने देश छोड़ा, जिनमें से कई उच्च शिक्षित पेशेवर थे।
  - सिर्फ 2022 में ही 2.25 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
- शीर्ष गंतव्य: अमेरिका, कनाडा और यूरोप इन कुशल श्रमिकों के प्रमुख गंतव्य बने हुए हैं।

भारत से ब्रेन ड्रेन के कारण

- **आर्थिक कारण:** विकसित देशों की तुलना में कम वेतन।
  - विशेषीकृत कौशल के लिए सीमित रोजगार के अवसर।
- **शैक्षिक और पेशेवर अवसर:** विश्व स्तरीय शोध अवसंरचना की सीमित उपलब्धता।
  - विदेशों में बेहतर प्रशिक्षण, अनुभव और करियर विकास के अवसर।
  - उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक संस्थानों की प्राथमिकता।
- **जीवनशैली और जीवन गुणवत्ता:** विदेशों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और जीवन स्तर। वैश्विक मान्यता और नेटवर्किंग के अवसर।
- **अपर्याप्त शोध निधि और अवसंरचना**: भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय 2020-21 में GDP का मात्र 0.64% था, जबकि वैश्विक औसत 1.79% है।

चिंताएं

- **कुशल मानव संसाधन की हानि:** भारत आईटी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर भारी निवेश करता है।
  - जब अत्यधिक कुशल पेशेवर प्रवास करते हैं, तो देश नवाचार और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रतिभा विकसित नहीं कर पाता है।
- **धीमी आर्थिक प्रगति:** कुशल पेशेवर उद्यमिता, शोध और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रेन ड्रेन घरेलू उत्पादकता को कम करता है तथा उच्च तकनीकी उद्योगों और स्टार्ट-अप्स के विकास को धीमा करता है।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर प्रभाव:** बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों के कारण डॉक्टरों, नर्सों एवं शिक्षकों की विदेशों में प्रवास से भारत में कमी उत्पन्न होती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी:** प्रतिभा का लगातार प्रवाह भारत को ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है।
  - अन्य देश भारत के मानव संसाधन निवेश से लाभ उठाते हैं, बिना लागत साझा किए।

सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (PMRF):** 2018 में शुरू की गई, यह योजना शीर्ष शोध प्रतिभा को बनाए रखने के लिए ₹70,000-80,000 मासिक वृति और ₹2 लाख वार्षिक शोध अनुदान प्रदान करती है।
- **चिकित्सा शिक्षा विस्तार:** मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 से बढ़कर 2025-26 में 808 हो गई, स्नातक सीटों में 141% और स्नातकोत्तर सीटों में 144% की वृद्धि हुई।
- **VAJRA (विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च) योजना:** विदेशी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग के लिए आमंत्रित करती है।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ाने और नवाचार

पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित, केंद्रीय बजट 2024 में निजी क्षेत्र के R&D के लिए ₹20,000 करोड़ का कोष बनाया गया।

- **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF):** विश्वविद्यालयों को शोध और अकादमिक मानकों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **रामानुजन फेलोशिप और INSPIRE फैकल्टी योजना:** विदेशों में अनुभव प्राप्त युवा भारतीय वैज्ञानिकों को भारत लौटने के लिए आकर्षित करती है।

आगे की राह

- **पुन:प्रवासन प्रयासों की प्रेरणा:** अमेरिका में वृति और अकादमिक प्रतिबंध जैसी नीतियों ने भारत के लिए अपने प्रवासी नागरिकों को वापस लाने का अवसर सृजित किया है।
  - गूगल का आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन का एआई हब जैसे निवेश लौटने वाली प्रतिभा के लिए सहयोग के अवसर दर्शाते हैं।
- **शिक्षा और अनुसंधान निधि:** भारत शिक्षा पर GDP का 3-4% व्यय करता है, जो वैश्विक औसत 4.9% से कम है। इसे 5% तक बढ़ाना इस अंतर को समाप्त करने में सहायता करेगा।
- **R&D व्यय में वृद्धि:** भारत को अनुसंधान एवं विकास पर वर्तमान 0.64% से बढ़ाकर कम से कम 2% GDP व्यय करना चाहिए ताकि वैश्विक मानकों की बराबरी की जा सके।
  - विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़नी चाहिए।
- **स्वतंत्रता और अकादमिक खुलापन:** दीर्घकालिक प्रतिभा बनाए रखने और नवाचार के लिए अकादमिक स्वतंत्रता आवश्यक है।
  - विद्वानों की निर्वासन और प्रतिबंध की घटनाएं संभावित वापसी करने वालों को हतोत्साहित करती हैं।

निष्कर्ष

- प्रतिभा को वापस लाना केवल प्रथम कदम है; भारत को ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जहां विकसित हो सके—सुदृढ़ संस्थानों, अकादमिक स्वायत्तता, वित्त पोषण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के प्रति खुलेपन के माध्यम से।

Source: IE

सरकार ने AI-जनित सामग्री को विनियमित करने के लिए IT नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया

संदर्भ

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

परिचय

- आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित नया संशोधन निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर लाया गया है:
  - ऑनलाइन सामग्री नियमन और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुदृढ़ करना;
  - एआई-जनित एवं कृत्रिम मीडिया (डीपफेक्स) से निपटना; और
  - यह सुनिश्चित करना कि सामग्री मॉडरेशन के लिए सरकारी आदेश वैध, संतुलित और जवाबदेह हों।

प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

- **सामग्री नियमन के लिए अधिकृत अधिकारी:** केवल संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (या केंद्र सरकार में समकक्ष) और राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी ही सामग्री हटाने के अनुरोध जारी कर सकते हैं।
  - यह निम्न स्तर के नौकरशाही आदेशों के दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।
- **कानूनी आधार:** प्रत्येक सामग्री हटाने के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए:
  - वैधानिक आधार (आईटी अधिनियम या संबंधित कानूनों के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान);

- सटीक यूआरएल, पोस्ट या सामग्री पहचानकर्ता; और
- लिखित रूप में हटाने के कारण। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों का पता लगाया जा सके और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हों।

- **समीक्षा तंत्र:** सभी हटाने की कार्रवाइयों की मासिक समीक्षा सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी ताकि वैधता, आवश्यकता और संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
  - यह पारदर्शिता को बढ़ाएगा और मनमाने सेंसरशिप को कम करेगा।
- **एआई-जनित सामग्री का नियमन:** "कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी" की परिभाषा प्रस्तुत की गई है — कोई भी सामग्री (छवि, वीडियो या ऑडियो) जो एल्गोरिदम द्वारा वास्तविक दिखने के लिए बनाई या संशोधित की गई हो।
  - यह स्पष्ट करता है कि एआई-संशोधित मीडिया क्या होता है।
- **डीपफेक्स की लेबलिंग:** प्लेटफॉर्म्स को एआई-जनित दृश्य और ऑडियो पर स्पष्ट लेबल या मेटाडेटा लगाना होगा, जो फ्रेम क्षेत्र या अवधि का कम से कम 10% कवर करे।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:** प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMIs) — जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और यूट्यूब— को:
  - संभावित रूप से एआई-संशोधित सामग्री अपलोड करते समय उपयोगकर्ता से घोषणा प्राप्त करनी होगी।
  - डीपफेक्स या कृत्रिम मीडिया की पहचान और टैगिंग के लिए स्वचालित पहचान उपकरणों का उपयोग करना होगा।
- **परिश्रम संबंधी दायित्व:** इन मानदंडों का पालन न करने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत "सेफ हार्बर" सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।
  - प्लेटफॉर्म्स को अवैध या भ्रामक सामग्री की मेज़बानी के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

महत्व

- भारत के डिजिटल शासन ढांचे और ऑनलाइन सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करता है।
- एआई के दुरुपयोग, फेक न्यूज़ और डीपफेक्स से निपटने पर सरकार के फोकस के साथ मेल खाता है।
- डिजिटल क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता को सुदृढ़ करता है।

चिंताएं

- सरकार द्वारा नियुक्त फैक्ट-चेक संस्थाओं के माध्यम से सेंसरशिप और अतिरेक का जोखिम।
- "फेक" या "भ्रामक" सामग्री की परिभाषा में अस्पष्टता।
- छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आगे की राह

- सामग्री मॉडरेशन में स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपयोगकर्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना।
- नियामक उपायों के पूरक के रूप में डिजिटल साक्षरता और नैतिक एआई उपयोग को प्रोत्साहित करना।

Source: TH

क्या मैच फिक्सिंग को कानूनी तौर पर धोखाधड़ी माना जा सकता है?

संदर्भ

- भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने कर्नाटक प्रीमियर लीग (KPL) 2018-19 में कथित मैच फिक्सिंग से संबंधित एक आपराधिक अपील में हस्तक्षेप करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है।

परिचय

- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि भले ही मैच फिक्सिंग निंदनीय है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

- BCCI का तर्क है कि मैच फिक्सिंग को धोखाधड़ी माना जाना चाहिए क्योंकि दर्शकों/प्रायोजकों से यह अप्रकट वादा होता है कि मैच निष्पक्ष रूप से खेला जाएगा।
  - जब खिलाड़ी परिणाम तय करते हैं, तो वे जनता को धोखा देते हैं और उस वादे का उल्लंघन करते हैं — जो धारा 420 के तत्वों को पूरा करता है।
  - BCCI ने क्रिकेटरों के लिए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता बनाई है, लेकिन यह भी कहा है कि आपराधिक अभियोजन आवश्यक है।

धारा 420 आईपीसी

- भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत किसी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:
  - आरोपी ने किसी को धोखा दिया।
  - यह धोखा बेईमानी से किया गया।
  - इस धोखे के कारण व्यक्ति ने या तो: संपत्ति या पैसा छोड़ दिया, या ऐसा कुछ किया जो वह सामान्यतः नहीं करता।
  - इस धोखे के कारण पीड़ित को हानि हुई या वह ठगा गया।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि मैच फिक्सिंग के मामलों में दर्शक अपनी इच्छा से टिकट खरीदते हैं, भले ही वे निष्पक्ष खेल की अपेक्षा करते हों।
  - चूंकि यह सिद्ध नहीं हुआ कि उन्हें टिकट खरीदने के लिए धोखा दिया गया या बहकाया गया, इसलिए धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध नहीं हुआ।

मैच/खेल फिक्सिंग

- मैच या खेल फिक्सिंग का अर्थ है किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम या विशिष्ट घटनाओं को पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावित करना, प्रायः वित्तीय लाभ के लिए।
  - यह जानबूझकर खेल के परिणाम या कुछ क्रियाओं को प्रभावित करना होता है ताकि खिलाड़ी, टीम या सट्टेबाज को लाभ मिल सके, बजाय इसके कि खेल निष्पक्ष रूप से तय हो।
  - **प्रभाव:** यह खेलों की अखंडता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

भारत में खेल फिक्सिंग से संबंधित कानून

- भारत में मैच फिक्सिंग या खेल धोखाधड़ी को अपराध घोषित करने वाला कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है।
- प्रवर्तन सामान्य आईपीसी प्रावधानों पर आधारित रहा है, लेकिन जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है, यह कानूनी रूप से कमजोर है।
- भारत के विधि आयोग ने अपनी 276वीं रिपोर्ट (2018) में माना था कि कानूनी ढांचा अपर्याप्त है, और सिफारिश की थी कि मैच फिक्सिंग/खेल धोखाधड़ी को विशेष रूप से गंभीर दंड के साथ आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

- **यूके:** जुआ अधिनियम 2005 के अंतर्गत, किसी खेल या घटना के परिणाम में धोखा देना या हस्तक्षेप करना जहां सट्टा लगाया गया हो, एक अपराध है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** विभिन्न राज्यों में ऐसे कानून हैं जो सट्टेबाजी के माध्यम से खेल के परिणाम को भ्रष्ट करने वाले आचरण को अपराध घोषित करते हैं।
- **दक्षिण अफ्रीका:** भ्रष्ट गतिविधियों की रोकथाम और मुकाबला अधिनियम (2004) खेल आयोजनों से संबंधित भ्रष्ट गतिविधियों को कवर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव

- यदि सर्वोच्च न्यायालय BCCI की बात मानता है, तो मैच फिक्सिंग को भारत में आईपीसी के अंतर्गत धोखाधड़ी का अपराध माना जा सकता है — भले ही कोई नया विशेष कानून न हो।
- यह मैच फिक्सिंग के विरुद्ध केवल आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के बजाय सुदृढ़ आपराधिक अभियोजन को सक्षम करेगा।
- विपरीत रूप से, यदि अदालत यह मानती है कि वर्तमान प्रावधान अपर्याप्त हैं — तो यह संसद से विधायी सुधार की मांग को प्रेरित कर सकता है।

Source: IE

एटलस: एआई-संचालित ब्राउज़रों का उदय

समाचार में

- OpenAI ने अपना एआई-संचालित ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है, जो परप्लेक्सिटी(Perplexity) के कॉमेट ब्राउज़र के बाद आया है, और यह जनरेटिव एआई प्रतिस्पर्धा के एक नए चरण की शुरुआत को दर्शाता है।

एटलस

- यह एक एआई-एकीकृत ब्राउज़र है जो ChatGPT के आस-पास डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पारंपरिक एड्रेस बार नहीं है। इसमें एक "एजेंट मोड" है जो उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतः खोज करता है।
- यह प्लस, प्रो और व्यापार उपयोगकर्ताओं के लिए प्रीव्यू संस्करण में उपलब्ध है। यह परप्लेक्सिटी के कॉमेट ब्राउज़र लॉन्च के बाद आया है, जो गूगल क्रोम को सीधी चुनौती देने का संकेत देता है।

एआई कंपनियाँ ब्राउज़र क्यों बना रही हैं

- ब्राउज़र ऑनलाइन गतिविधियों — जैसे खोज, खरीदारी, बैंकिंग, मनोरंजन आदि — का प्राथमिक द्वार होते हैं।
- ब्राउज़र इंटरफ़ेस को नियंत्रित करने से कंपनियाँ उपयोगकर्ता की मंशा और डेटा पर अधिकार पा सकती हैं।
- गूगल के विज्ञापन मॉडल की तरह ट्रैफिक का मुद्रीकरण कर सकती हैं।
- परिचित उपयोगकर्ता अनुभवों में एआई को एकीकृत कर सकती हैं।
- एआई ब्राउज़र लॉन्च करने से चैटबॉट इंटरफ़ेस और पारंपरिक वेब खोज के बीच के अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलती है।

एआई ब्राउज़र खोज को कैसे बदल रहे हैं

- पारंपरिक सर्च इंजन कई लिंक प्रदान करते हैं; एआई ब्राउज़र सीधे, संक्षिप्त और व्यक्तिगत उत्तर देते हैं।
- ये संबंधित प्रॉम्प्ट भी सुझाते हैं, जिससे गहन खोज को प्रोत्साहन मिलता है।
- यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ता वेब के साथ कैसे संवाद करते हैं, और लिंक-आधारित नेविगेशन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं।

विस्तृत प्रभाव

- OpenAI और परप्लेक्सिटी द्वारा एआई ब्राउज़र का लॉन्च, और एआई-जनित खोज सारांशों के उदय के साथ, ऑनलाइन खोज में एक मूलभूत बदलाव का संकेत देता है।
- जैसे-जैसे एआई यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता जानकारी तक कैसे पहुँचते हैं, पारंपरिक वेब ट्रैफिक मॉडल और प्रकाशकों की दृश्यता बाधित हो रही है — जिससे खोज, सामग्री एवं मुद्रीकरण का भविष्य पुनः आकार ले रहा है।

Source:IE

भारत वैश्विक वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर पहुंचा

संदर्भ

- भारत वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA) 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसे खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा बाली में जारी किया गया। GFRA प्रत्येक पांच वर्षों में प्रकाशित किया जाता है।

मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक स्तर पर वन 4.14 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 32% है, अर्थात प्रति व्यक्ति 0.5 हेक्टेयर वन।
- रूस के पास सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चीन, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और पेरू का स्थान है।
- रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि विगत दशक में वैश्विक वनों की कटाई की गति धीमी हुई है।
- फिर भी, विश्व प्रत्येक वर्ष (2015–2025) 10.9 मिलियन हेक्टेयर वन खो रही है, जो अभी भी चिंताजनक दर मानी जाती है।

भारत की वन आच्छादन स्थिति

- भारत का वन क्षेत्र 72.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 2% है।
- वार्षिक वन वृद्धि के मामले में भारत ने चीन और रूस के बाद विश्व स्तर पर अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है।
- भारत और इंडोनेशिया मिलकर वैश्विक कृषि वानिकी क्षेत्रों का 70% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, जो खेतों में पेड़ों के सुदृढ़ एकीकरण को दर्शाता है।

भारत की उपलब्धि का महत्व

- **जलवायु परिवर्तन शमन:** वन क्षेत्र का विस्तार कार्बन अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे भारत के पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित राष्ट्रीय योगदान (NDCs) को सहायता मिलती है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** वन विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के आवास के रूप में कार्य करते हैं, जो भारत की समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं।
- **आजीविका समर्थन:** भारत में 275 मिलियन से अधिक लोग आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं, जिससे उनका सतत प्रबंधन सामाजिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **भूमि और जल सुरक्षा:** वन मृदा के कटाव को रोकते हैं, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं**: यह भारत के संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक (2021–2030) और सतत विकास लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) के तहत लक्ष्यों के अनुरूप है।

वन संरक्षण की दिशा में सरकारी पहलें

- **'एक पेड़ माँ के नाम'** अभियान ने नागरिकों को पेड़ लगाने और पर्यावरणीय चेतना बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
- **हरित भारत मिशन (GIM):** जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत एक मिशन जो वन क्षेत्र बढ़ाने और वर्तमान वन गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखता है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (2016):** एक अधिनियम जो गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने वालों से प्रतिपूरक शुल्क लेकर वनीकरण एवं संबंधित गतिविधियों के लिए धन सुनिश्चित करता है।
- **इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs):** संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों) के चारों ओर नामित क्षेत्र जो बफर के रूप में कार्य करते हैं तथा मानव गतिविधियों के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं।
- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM):** एक कार्यक्रम जो राज्य वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है ताकि वन संसाधनों की रक्षा और पुनर्जीवन किया जा सके।

चुनौतियाँ

- **विकास परियोजनाएं:** खनन, सड़कों और शहरी विस्तार के लिए वन विचलन पारिस्थितिक स्थिरता को खतरे में डालता है।
- **वन क्षरण:** अत्यधिक दोहन और अतिक्रमण वन स्वास्थ्य और संपर्कता को प्रभावित करते हैं।
- **जलवायु चरम स्थितियां:** बढ़ते तापमान और परिवर्तित वर्षा पैटर्न वन पुनर्जनन और प्रजातियों की संरचना को प्रभावित करते हैं।
- **संरक्षण और आजीविका:** स्थानीय समुदायों का कल्याण सुनिश्चित करते हुए संरक्षण प्राथमिकताओं को बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है।

निष्कर्ष

- वैश्विक वन रैंकिंग में भारत की प्रगति देश की पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करती है।
- वैज्ञानिक वन प्रबंधन, स्थानीय भागीदारी और जलवायु-लचीले पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर निरंतर ध्यान इस गति को बनाए रखने तथा आगामी वर्षों में इसे और बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

इज़राइल की संसद द्वारा नियन्त्रण वाले वेस्ट बैंक के विलय को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- इज़राइल की संसद, नेसेट ने "यहूदा और सामरिया में इज़राइली संप्रभुता का अनुप्रयोग, 2025" शीर्षक वाले विधेयक को प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक पर इज़राइली कानून लागू करना है।

वेस्ट बैंक के बारे में

- वेस्ट बैंक मध्य पूर्व का एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है जो इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्रीय हिस्सा है।
- यह जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है और इसके पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में इज़राइल तथा पूर्व में जॉर्डन और मृत सागर की सीमाएं हैं।

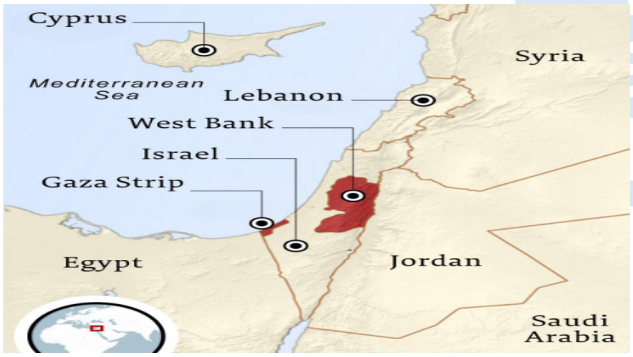

इतिहास और राजनीतिक स्थिति

- **ब्रिटिश शासन:** 1920 से 1947 तक यह क्षेत्र ब्रिटिश अधीनस्थ फिलिस्तीन क्षेत्र का हिस्सा था।
- **1948–1967:** 1948 के अरब-इज़राइल युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने नियंत्रण किया और बाद में इसका विलय कर लिया।
  - यह विलय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं था।
- **1967 का छह दिवसीय युद्ध:** इज़राइल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक पर नियंत्रण कर लिया और दावा किया कि यह क्षेत्र "विवादित" है, "नियंत्रण किया हुआ" नहीं।
- **ओस्लो समझौते:** 1993 में शुरू हुए ओस्लो समझौतों के अंतर्गत वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) के माध्यम से विभिन्न स्तरों की स्वशासन व्यवस्था में रखा गया।
- **अंतरराष्ट्रीय स्थिति:** अंतरराष्ट्रीय समुदाय वेस्ट बैंक को भारी बहुमत से नियंत्रण किया हुआ क्षेत्र मानता है।
  - अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र ने वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैध घोषित किया है।

Source: DD News

लद्दाख के प्रतिनिधियों को अनुच्छेद 371 की शर्तों की पेशकश की गई

संदर्भ

- लद्दाख के दो प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक संगठन — लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) — ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर गृह मंत्रालय (MHA) के साथ वार्ता पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
  - केंद्र ने कथित तौर पर छठी अनुसूची के संभावित विकल्प के रूप में संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है।

पृष्ठभूमि

- 2019 में, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख — में विभाजित किया गया, जिसमें लद्दाख को विधान सभा नहीं दी गई।
- इसके विशेष दर्जे को हटाए जाने के बाद, लद्दाख के कई राजनीतिक समूहों ने भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण की मांग की है।
- 2019 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

छठी अनुसूची

- अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों — स्वायत्त जिला परिषदों

(ADCs) — के गठन का प्रावधान करती है, जिन्हें राज्य के अंदर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

- यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
- यह अनुसूची ARCs और ADCs को भूमि राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार और व्यापार को नियंत्रित करने, खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने, और स्कूल, बाजार, सड़क जैसी सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित करने की शक्ति देती है।

अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिए गए संरक्षण

- अनुच्छेद 371 और 371-A से लेकर 371-J तक विशेष राज्यों के लिए "विशेष प्रावधान" प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य विशेष धार्मिक और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देना और उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकारों के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्तता प्रदान करना होता है।
- अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान लद्दाख की स्थानीय जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने की अनुमति देंगे।

Source: TH

वैज्ञानिकों ने 'एटॉमिक स्टेंसिल्स' का उपयोग कर डिज़ाइनर नैनोकण बनाए

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने परमाणु स्तर पर नियंत्रण के साथ पैची नैनोकणों को सटीक रूप से बनाने की एक विधि विकसित की है, जिसे एटॉमिक स्टेंसिलिंग कहा जाता है।

परिचय

- एटॉमिक स्टेंसिलिंग वैज्ञानिकों को सोने के नैनोकणों पर विशिष्ट सतही पैटर्न बनाने के लिए बहुलकों को चयनात्मक रूप से "पेंट" करने की अनुमति देती है।
- नैनोकण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जो चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा में क्रांतिकारी तकनीकों के निर्माण खंड के रूप में कार्य करते हैं।
- हालांकि, वास्तव में जटिल और कार्यात्मक सामग्री बनाने के लिए वैज्ञानिकों को ऐसे नैनोकणों की आवश्यकता होती है जिनकी सतह पर विभिन्न डोमेन हों, जो यह निर्देशित कर सकें कि वे एक-दूसरे से कैसे जुड़ें और विशिष्ट पैटर्न में कैसे संगठित हों।
- इन पैची नैनोकणों को सटीकता और बड़े पैमाने पर बनाना एक प्रमुख चुनौती रहा है।
- स्टेंसिलिंग तकनीक का उपयोग करके, टीम ने अद्वितीय पैटर्न वाले 20 से अधिक प्रकार के पैची नैनोकणों को सफलतापूर्वक तैयार किया।

महत्व

- नैनोकण डिज़ाइन पर यह नया नियंत्रण स्तर मेटामटेरियल्स के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है — ये ऐसे इंजीनियरिंग सामग्री हैं जिनमें प्रकृति में न पाई जाने वाली विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश और ध्वनि को नए तरीकों से नियंत्रित करने की क्षमता।
- इसकी संभावित उपयोगिता बहुत व्यापक है, जिसमें लक्षित औषधि वितरण, अत्यधिक कुशल उत्प्रेरक, आगामी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्मार्ट सामग्री की नई श्रेणियों में प्रगति शामिल हो सकती है।

Source: TH

ईरान द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि

संदर्भ

- ईरान ने वैश्विक वित्तीय मानदंडों के अनुरूप होने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद वित्तपोषण के दमन के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (CFT) में शामिल होने के लिए एक कानून की पुष्टि की है।

परिचय

- **FATF स्थिति:** अक्टूबर 2025 तक, ईरान FATF की ब्लैकलिस्ट में बना हुआ है क्योंकि उसने धन शोधन (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण (CFT) के लिए पर्याप्त मानकों को अपनाने में विफलता दिखाई है।
- इस पुष्टि को FATF द्वारा संभावित पुनर्मूल्यांकन की दिशा में प्रथम कदम माना जा रहा है।

CFT के बारे में

- CFT को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1999 को (प्रस्ताव 54/109) अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करना और ऐसे अपराधों को रोकने, जांच करने और अभियोजन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र स्थापित करना।
  - यह देशों से वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने, खुफिया जानकारी साझा करने और कानून प्रवर्तन में सहयोग करने की मांग करता है।
- **अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा:** यह अन्य संयुक्त राष्ट्र उपकरणों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 (2001) और ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2000) को पूरक करता है।
- भारत ने CFT की पुष्टि की है और इसके प्रावधानों को निम्नलिखित कानूनों के माध्यम से शामिल किया है:
  - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967
  - धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है।
- **इतिहास:** FATF की स्थापना 1989 में G7 द्वारा धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच और विकास के लिए की गई थी।
  - प्रारंभ में इसमें G7 देश, यूरोपीय आयोग और आठ अन्य देश शामिल थे।
  - 2001 में, FATF ने आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिए अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया।
- **सदस्य:** FATF के 40 सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।
- FATF को उन देशों के खिलाफ चेतावनी और प्रतिबंध जारी करने का अधिकार है जो इसके मानकों का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसे कि सदस्यता का निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग।

FATF 'ग्रे लिस्ट' और 'ब्लैकलिस्ट'

- **ब्लैकलिस्ट:** वे देश जिन्हें गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCTs) के रूप में जाना जाता है, उन्हें ब्लैकलिस्ट में रखा जाता है। ये देश आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- **ग्रे लिस्ट:** वे देश जिन्हें आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है।

Source: TH

प्रोफेसर एकनाथ चिटनिस: अनुभवी वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया

समाचार में

- प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन।

मुख्य भूमिकाएं और योगदान

- वह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के अंतिम जीवित सहयोगियों में से एक थे।
- उन्हें उस समय के उभरते वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मार्गदर्शन देने का श्रेय भी दिया जाता है।
- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में परिवर्तित हुई।
- उन्होंने केरल के थुंबा में भारत के प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के चयन में भी अहम भूमिका निभाई।
- उन्होंने 1975–76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट (SITE) का निर्देशन किया, जिसमें NASA के ATS-6 उपग्रह का उपयोग करके 2,400 गांवों में शैक्षिक सामग्री प्रसारित की गई — जो भारत की डिजिटल क्रांति में एक माइलस्टोन था।
- 1981 से 1985 तक, उन्होंने अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) के दूसरे निदेशक के रूप में कार्य किया।

सम्मान

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

Source:TH

2025 सखारोव पुरस्कार

संदर्भ

- बेलारूस में बंद पत्रकार आंद्रेज़ पोज़ोबट और जॉर्जिया में बंद पत्रकार म्ज़िया अमाघलोबेली को 2025 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पुरस्कार के बारे में

- विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका नाम सोवियत असंतुष्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है।
- यह उन व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करता है जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं।
- सखारोव पुरस्कार के अंतिम विजेता या विजेताओं का चयन यूरोपीय संसद की एक संस्था "कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स" द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता संसद के अध्यक्ष करते हैं तथा इसमें संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक समूहों के नेता शामिल होते हैं, जिससे यह चयन वास्तव में एक यूरोपीय निर्णय बनता है।
- यह पुरस्कार €50,000 की धनराशि के साथ आता है और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद में प्रदान किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- कई सखारोव पुरस्कार विजेताओं — जैसे नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफ़ज़ई, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद — को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला।
- दिलचस्प बात यह है कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उन्हें विगत वर्ष सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया था।

Source: TH